



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
दिनांक: कमांक:एफ.14()शैक्ष.11/मदसविवि/2015/

कार्यालय आदेश

विद्या परिषद की 58 वी बैठक दिनांक 07.06.2018 की अनुशंषा संख्या 13 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 94 वी बैठक दिनांक 30.06.2018 के निर्णय संख्या 05 की अनुपालना में राजकीय विधि महाविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रम की दो वर्ष (सत्र 2019-2020 एवं 2020-2021) की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. राजकीय विधि महाविद्यालय विधि पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु दो वर्ष की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ दो वर्ष का सम्बद्धता शुल्क व रूपये 20,000/- निरीक्षण शुल्क जमा कराना होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ बीसीआई/विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदण्डानुसार भौतिक संसाधनों का विवरण, स्टॉफ एवं अन्य दस्तावेज आवेदित वर्षों के अनुसार जमा कराने होंगे।

उक्त आदेश राजकीय विधि महाविद्यालयों के लिए ही हैं।

हो
कुलसचिव

दिनांक: 18-7-18

कमांक:एफ.14()शैक्ष.11/मदसविवि/2015/18428-35

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर/ भीलवाड़ा/ नागौर।
4. ए0सी0पी0, वेबसाईट एडमिनिस्ट्रेटर, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. निजी सचिव-कुलपति, मदसविवि, अजमेर।
6. निजी सहायक-कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर।

उप कुलसचिव (शैक्ष-11)